मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
A Central University under Ministry of Education
Government of India

हिन्दी प्रकोष्ठ

सं. मानू/हिन्दी प्रकोष्ठ/2025/1520 दिनांक:6 मार्च, 2025

परिपत्र

यह परिपत्र उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र संख्या 11011/4/2022-रा.भा.ए. दिनांक 07.11.2023 के संदर्भ में जारी किया गया है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार केन्द्र सरकार के द्वारा नियंत्रित कार्यालयों में सभी कार्यालयी कार्य द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेज़ी में होंगें।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें सरकारी कागजात, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा- पत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रारुप द्विभाषिक रूप में, अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों में जारी किए जाएं।

तदनुसार, सभी संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों / अनुभाग अध्यक्षों / प्रभारी तथा हिन्दी प्राज्ञ / पारंगत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि, राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत वह अपने आधिकारिक कार्यों के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यान दें।

यदि हिन्दी में सहायता की आवश्यकता हो तो, हिन्दी प्रकोष्ठ से संपर्क किया जा सकता है।

कुलसचिव

कुलसचिव / Registrar
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
Maulana Azad National Urdu University
गच्चीबौली, हैदराबाद-५०० ०३२.
Gachibowli, Hyderabad-500 032.

सेवा में

मुख्यालय/ऑफ कैम्पस के सभी संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों/ प्रधानाचार्यों/ प्रभारी कुलानुशासक, संकायाध्यक्ष - छात्र कल्याण, प्रोवोस्ट(पुरुष एवं महिला)

प्रतिलिपि :

1. *कुलपति/कुलसचिव /ओएसडी- I / ओएसडी- II /वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक कार्यालय / पुस्तकालयाध्यक्ष*
2. *सभी हिन्दी प्राज्ञ / पारंगत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी*
3. *निदेशक, सीआईटी (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ)*
4. *संबंधित फाइल*

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI-110 115

सं.ई. 11011/4/2022-रा.भा.ए

दिनांक : 07.11.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों/आयोगों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों आदि में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि के लिए यह सांविधिक अपेक्षा है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत उल्लिखित सभी 14 दस्तावेजों (सूची संलग्न) को द्विभाषी रुप में अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करें। परंतु यह देखने में आया है कि शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कई संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों/आयोगों/ विश्वविद्यालयों/बोर्डों आदि में उक्त अधिनियम के उपबंधों का शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2. अतएव सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में एक साथ जारी करें और जारी कराते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिंदी रूपांतर, अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर/पहले रहे। इस संबंध में तत्काल संदर्भ के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 12024/10/90-रा.भा.(ख-2), दिनांक 26 जून, 1990 की प्रति संलग्न है।

(जगदीश राम पौरी)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

सेवा में

1. शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों/आयोगों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों/संगठनों आदि के प्रमुख ।

प्रतिलिपि

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा और प्रशासन), उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय को सूचनार्थ।
2. गार्ड फाइल।

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

<u>अनुलग्नक</u>

धारा 3(3) के तहत आने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	विवरण	particulars
1.	सामान्य आदेश	General Orders
2.	संकल्प	Resolution
3.	परिपत्र	Circulars
4.	नियम	Rules
5.	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन	Administrative or other reports
6.	प्रेस विज्ञप्तियां	Press Release/Communiques
7.	संविदाएं	Contracts
8.	करार	Agreements
9.	अनुज्ञप्तियां	Licences
10.	निविदा प्रारुप	Tender Forms
11.	अनुज्ञा पत्र	Permits
12.	निविदा सूचनाएं	Tender Notices
13.	अधिसूचनाएं	Notifications
14.	संसद के समक्ष् रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र	Reports and documents to be laid before the Parliament

का.ज्ञा. सं. 12024/10/90-रा.भा. (ख-2), दिनांक 26.6.1990

विषय:— राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि के लिए यह सांविधिक अपेक्षा है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में यानी हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करें। परन्तु देखने में आया है कि इस अपेक्षा की ओर बार-बार ध्यान दिलाए जाने पर भी उल्लिखित कागजात कई कार्यालयों द्वारा केवल अंग्रेजी में ही जारी

किए जा रहे हैं। लाइसेंस, परमिट, करार, संविदाएं हिन्दी में भी तैयार होनी अनिवार्य हैं। कुछ मामलों में इस तरह के कागजात का हिन्दी रूपान्तर इतनी देर से जारी किया जाता है कि वह निरर्थक हो जाता है। इनमें से सामान्य आदेशों और परिपत्रों को भी अन्य मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि द्वारा और आगे परिचालित किया जाता होता है और यदि उन्हें इसका हिन्दी रूपान्तर साथ-साथ नहीं मिलता तो उन्हें हिन्दी अनुवाद स्वयं कराना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर समय और श्रम का दुरुपयोग होता है वहीं दूसरी ओर अनुवाद की प्रामाणिकता और एकरूपता भी नहीं रह पाती। वस्तुत: इस तरह के सभी कागजात मूल मंत्रालय/विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ जारी किए जाने अपेक्षित हैं।

अत: सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में एक साथ जारी करें और जारी करते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिन्दी रूपान्तर, अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर पहले रहे।